



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14273

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2611 वर्ष 2025

अर्चना

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

अभिषेक अंकुर चौरसिया, दीवान सैफुल्लाह खान, शिवाजी श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, ऊषा श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवाजी श्रीवास्तव, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा एवं श्रीमती ऊषा श्रीवास्तव तथा विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- सोरों, जिला- कासगंज में मुकदमा अपराध संख्या 371 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रही है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि यह सत्य है कि मृतक की मृत्यु उसके ससुराल के परिसर के भीतर हुई थी और मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध (asphyxia) है, लेकिन आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। वह मृतक की जेठानी है और वह मृतक एवं अपने ससुराल वालों से अलग रहती है, जैसा कि जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथ-पत्र के अनुलग्नक-12 और 13 के रूप में दाखिल राशन कार्ड और बिजली कनेक्शन से स्पष्ट है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 25.09.2024 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

7. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतक से अलग रहती है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- अर्चना को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

### (कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 20, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।